

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 285/2024

Jaipur Vidhyut Vitaran Nigam Limited

----Appellant

Versus

Geeta Devi W/o Late Padma,

----Respondent

Connected With

S.B. Civil First Appeal No. 846/2023

Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited

----Appellant

Versus

Smt. Revati Devi W/o Pappuram Saini

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Jaivardhan Singh Shekhawat
Mr. Alok Garg

For Respondent(s) : Mr. Pankaj Sharma
Mr. Manoj Seth
Mr. Vinay Mathur

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/12/2025

S.B. Civil First Appeal No. 285/2024-

प्रार्थना-पत्र संख्या 1/2025 पर सुना गया।

इस प्रार्थना-पत्र में अपीलार्थी ने इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2025 में डिफ्रीटल राशि जमा कराने के लिए दिए गए समय को बढ़ाए जाने हेतु निवेदन किया है।

विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी को आदेश दिया जाता है कि डिफ्रीटल राशि आज दिनांक से सात दिन तक जमा करवा दें। उक्त अवधि में राशि जमा नहीं करवाए जाने की स्थिति में अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2024 रिक्त (Vacate) कर दिया जाएगा। इसी अनुसार प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है।

इस प्रकरण का अभिलेख विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि आदेश दिनांक 14.10.2025 की पालना के पश्चात् अभिलेख पुनः इस न्यायालय को अविलम्ब भिजवाया जावे।

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 846/2023 इस प्रकरण से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को उक्त प्रकरण से अलग कर दिया जावे।

S.B. Civil First Appeal No. 846/2023-

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि पूर्व में अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.2025 की पालना में कार्यालय द्वारा अभिलेख विचारण न्यायालय को नहीं भिजवाया गया है। अतः कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस प्रकरण का अभिलेख विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाए कि आदेश दिनांक 14.10.2025 की पालना के पश्चात् अभिलेख पुनः इस न्यायालय को अविलम्ब भिजवाया जावे।

यह सिविल अपील एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 285/2024 से अलग कर सूचीबद्ध की जावे।

(SHUBHA MEHTA),J